S. No.	Name of State	Dwelling Units		Loan Sanctioned	
		EWS (R)	EWS (U)	EWS (R)	EWS (U)
11.	Kerala	9550	17035	1832.50	2744.25
12.	Karnataka	26520	21537	2652.00	4953.21
13.	Meghalaya	0	40	0.00	12.40
14.	Maharashtra	0	3235	0.00	1310.00
15.	Manipur	0	0	0.00	0.00
16.	Madhya Pradesh	0	1162	0.00	538.83
17.	Mizoram	0	0	—	—
18.	Nagaland	0	0	0.00	0.00
19.	Orissa	7500	0	1875.00	0.00
20.	Pondicherry	0	0	—	—
21.	Punjab	0	1764	0.00	203.15
22.	Rajasthan	0	1393	0.00	392.19
23.	Sikkim	0	0	—	—
24.	Tamil Nadu	22535	4669	2268.12	1305.90
25.	Uttar Pradesh	0	524	0.00	131.00
26.	West Bengal	1130	0	282.50	0.00
	TOTAL	120985	57145	14875.16	13260.25

प्रतिष्ठित गायकों को सरकारी मकानों का आवंटन

1677. श्री कृष्णदत्त भाटुल:
प्रो॰ सायरुद्दीनाल जाफरी:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ध्रुपद गायकी के प्रतिष्ठित गायक उस्ताद रहीम फहीमउद्दीन डागर (अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गये) ने मकान पाने के लिए सरकार के पास आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो यह आवेदन कौन सी तारीख को किया गया था;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने भी ऐसे स्वयं प्रतिष्ठित गायक को कलाकार कोटे के तहत मकान आवंटित करने की अनुशंसा की थी; और

(घ) यदि हां, तथा प्रधान मंत्री की अनुशंसा के मद्देनजर सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) 13.10.1997

(ग) जी, नहीं।

(घ) संबंधित विषय पर संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में मामला विचाराधीन है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवा

1678. श्री कपिल सिब्बल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवकों की संख्या का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह आकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यिक लक्ष्य तय करके कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसे कब से क्रियान्वित किया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 1993-94 (पांचवें दौर में) में रोजगार और बेरोजगार का अनुमान लगाने के लिए एन एस एस ओ के नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से है:—

(मिलियन में)

		पुरुष	महिला	शहरी बेरोजगार	योग
1.	यू पी एस एस के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी का अनुपात	4.05	6.25		4.52
2.	यू पी एस एस के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों का (मिलियन में) अनुपात	2.75	1.16		3.91

(ग) और (घ) देश में शहरी बेरोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा पहले की नेहरू रोजगार योजना एन आर वाई और प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को मिलाकर दिनांक 1.12.97 के स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(एस जे एस आर वाई) आरंभ की गई है, जिसमें उनके श्रम को प्रयोग करके लोक परिसम्पितियों का सामाजिक और आर्थिक उपयोग करने के लिए, स्वरोजगार का जोखिम उद्यम या मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके प्रोत्साहन के माध्यम से शहरी बेरोजगार या अल्प रोजगार प्राप्त गरीब को लाभदायक रोजगार मुहैया कराने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्यक्रम में नौंवी कक्षा तक पढ़े शहरी गरीब और समय-समय पर परिभाषित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को लक्ष्य बनाया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) स्थानीय विकास के लिए सहायता और सरल प्रक्रिया मुहैया कराने के लिए सामुदायिक संगठन और संरचना के ढांचे पर निर्भर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली सामुदायिक विकास सोसाईटीयों (सी डी एस) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगीं। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, (एस जे एस आर वाई) का वित्त पोषण केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर होगा। इस स्कीम में दो विशेष घटक है अर्थात् (क) शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी) और (ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी) हैं। शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी) घटक निर्धन महिलाओं को समर्थ करने और ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देता है और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास का एक विशेष कार्यक्रम चलाती है जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए शहरी गरीब महिलाओं का समूह परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक सहायता प्राप्त करने का हकदार है।

इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा कोई लक्ष्यों से संबंधित मामला स्कीम के दिशानिर्देशों और लाभग्राही सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निश्चित करने के लिए उन पर छोड़ दिया गया है। स्कीम के प्रचालन में यथेष्ट लचीलापन लाने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है। यह स्कीम नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चालू रहेगी।